

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक : प.3(2)नवि/II/2019

जयपुर, दिनांक : 24 OCT 2019

आज्ञा

राजस्थान नगर नियोजन सेवा नियम, 1966 के नियम 24(2) के प्रावधानानुसार गठित विभागीय पदोन्नति चयन समिति की दिनांक 14.10.2019 को आयोजित बैठक की अभिशंषा के अनुसार उप नगर नियोजक (पीआर) के वर्ष 2019-20 के रिक्त पदों के विरुद्ध निम्नांकित सहायक नगर नियोजक (पीआर) की उप नगर नियोजक (पीआर) के पद पर, वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर, पे-मैट्रिक्स लेवल संख्या L-16 में एतद्वारा पदोन्नत की जाकर उनके नाम के आगे अंकितानुसार स्थान पर पदस्थापन किया जाता है:-

क्र.सं.	पदोन्नत राजसेवक का नाम एवं पदनाम	चयन वर्ष एवं रिक्ति तिथि	वर्तमान पदस्थापन	पदोन्नति पर पदस्थापन
1.	श्री सर्वेश्वर शरण व्यास, सहायक नगर नियोजक (पीआर)	2019-20, 01-04-2019	जिला नगर नियोजन इकाई, चित्तौड़गढ़	कार्यालय वरिष्ठ नगर नियोजक, उदयपुर जोन, उदयपुर (उप नगर नियोजक (पीआर) के पद पर)
2.	श्री पवन कुमार काबरा, सहायक नगर नियोजक (पीआर)	2019-20, 01-04-2019	दिल्ली-मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर, जयपुर	वरिष्ठ नगर नियोजक, जयपुर जोन, जयपुर (उप नगर नियोजक (पीआर) के पद पर)
3.	श्री मुकेश जांगिड़, सहायक नगर नियोजक (पीआर)	2019-20, 01-04-2019	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर (उप नगर नियोजक के पद पर)

उपरोक्त पदोन्नत अधिकारी पदोन्नत पद पर कार्यभार-ग्रहण कर रिपोर्ट मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर को भिजवायेंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से,



(त्रिभुवनपति)

संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग।
4. वरिष्ठ शासन उप सचिव, नगरीय विकास विभाग एवं आवासन विभाग को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।
5. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
6. संबंधित अधिकारीगण द्वारा मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
7. रक्षित पत्रावली।



संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय